

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

¥i. 538] No. 538] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 1, 2008/आश्विन 9, 1930

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1, 2008/ASVINA 9, 1930

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2008

सा.का.नि 705(अ).— केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात्:

- 1 (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी पेंशन (तीसरा संशोधन) स्कीम, 2008 है।
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होगी।
- 2 कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 में, पैरा 43 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात:-
- "43क . अंतर्राष्ट्रीय कर्मकारों के संबंध में विशेष उपबंध- स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 83 में यथापरिभाषित अंतर्राष्ट्रीय कर्मकारों को लागू होने में, निम्नलिखित उपांतरणों के अध्यधीन होगी, अर्थात:-
- (1) पैरा 2 के खंड (xv) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-
- (xv) "पेंशनी सेवा" से किसी अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा करार के अंतर्गत आने वाले सदस्य द्वारा की गई सेवा, जिसके लिए अभिदाय प्राप्त हुए हैं या प्राप्त होने योग्य हैं, की गई और ऐसे करार के तहत पात्र मानी गयी सेवा की अवधि अभिप्रेत है।
- (2) पैरा 10 के उप-पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-
- 10. पेंशनी सेवा का निर्धारण:-
- (1) किसी अंतर्राष्ट्रीय समाजिक सुरक्षा करार के अंतर्गत आने वाले सदस्य की पेंशनी सेवा का अवधारण उसकी ओर से कर्मचारी पेंशन निधि में प्राप्त या प्राप्त होने योग्य अभिदायों, सुसंगत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अधीन की गई सेवा की अवधि के प्रतिनिर्देश से किया जाएगा और ऐसे करार के अधीन पात्र मानी गई सेवा की अवधि को केवल ऐसे करार के अधीन वर्णित प्रयोजन के लिए ही जोड़ा जाएगा।

- (3) पैरा 11 के स्थान पर निम्निलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-
- 11. पेंशनी वेतन का अवधारण-

पेंशनी वेतन कर्मचारी पेंशन निधि की सदस्यता की अभिदायी सेवा अवधि के दौरान मात्रानुपाती दर सहित किसी भी रीति में आहरित औसत मासिक वेतन होगा।

- (4) पैरा 14 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-
- 14. मासिक सदस्य पेंशन के लिए पात्र होने से पूर्व सेवा छोड़ने पर फायदे
- (1) यदि किसी सदस्य ने जो भारतीय कर्मचारी नहीं है और ऐसे देश का है जिसके साथ भारत ने समाजिक सुरक्षा करार किया है, निर्गम की तारीख को या 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, जो भी पूर्वतर हो, पैरा 9 में विहित पात्र सेवा नहीं की है तो वह पारस्परिक आधार पर उक्त करार में यथा विहित फायदे का हकदार होगा।
- (2) यदि किसी सदस्य ने जो भारतीय कर्मचारी नहीं है और किसी ऐसे देश का है जिसके साथ भारत ने समाजिक सुरक्षा करार नहीं किया है, निर्गम की तारीख को या 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, जो भी पूर्वतर हो, पैरा 9 में विनिर्दिष्ट पात्र सेवा नहीं की है, तो पैरा 14 के अधीन फायदे आहरित करने की उसकी हकदारी, पारस्परिकता के सिद्धांत पर, उस देश में भारतीय कर्मचारियों को यथा उपलब्ध हकदारी के अनुसार होगी।"

[फा. सं. एस-35012/05/2008.एसएस-11]

एस. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 748(अ), तारीख 16 नवम्बर, 1995 द्वारा प्रकाशित की गयी थी और स्कीम में अंतिम संशोधन सं. सा.का.नि. 688(अ), तारीख 26 सितम्बर, 2008 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2008

G.S.R. 705(E).—In exercise of the powers conferred by section 6A read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Pension Scheme, 1995, namely: -

- 1 (1) This Scheme may be called the Employees' Pension (Third Amendment) Scheme, 2008.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- In the Employees' Pension Scheme, 1995, after paragraph 43, the following paragraph shall be inserted, namely:-

"43A. Special provisions in respect of International Workers.- The Scheme shall, in its

application to International Workers as defined in paragraph 83 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952 be subject to the following modifications, namely: —

- (1) For clause (xv)of paragraph 2, the following clause shall be substituted, namely:-(xv) "pensionable service" means the service rendered by the member covered by an international social security agreement for which contributions have been received or are receivable, the period of service rendered and considered as eligible under such agreement.
- (2) For sub-para (1) of paragraph 10, the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-
- 10. Determination of pensionable service.-
- (1) The pensionable service of the member covered by an international social security agreement shall be determined with reference to the contributions received or are receivable on his behalf in the Employees' Pension Fund, the period of service rendered under a relevant social security programme and considered as eligible for benefits shall be added only for the purpose mentioned under such agreement.
- (3) For paragraph 11, the following paragraph shall be substituted, namely:-
- 11. Determination of pensionable salary.-

The pensionable salary shall be the average monthly pay drawn in any manner including on piece-rate basis during the contributory period of service of the membership of the Employees' Pension Fund:

- (4) For paragraph 14, the following paragraph shall be substituted, namely:-
- 14. Benefits on leaving service before being eligible for monthly members' pension.
- (1) If a member not being an Indian employee, hailing from a country with which India has entered into a social security agreement, has not rendered the eligible service prescribed in paragraph 9 on the date of exit, or on attaining the 58 years of age, whichever is earlier, he/she shall be entitled to a benefit as may be prescribed in the said Agreement on
- (2) If a member not being an Indian employee hailing from a country with which India has not entered into a social security agreement, has not rendered the eligible service specified in paragraph 9 on the date of exit, or on attaining the 58 years of age, whichever is earlier, his/her entitlement to the withdrawal benefit under paragraph 14 shall be, on the principle of reciprocity, as may be available to Indian employees in that country."

[F. No. S-35012/05/2008.SS-II] S. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Foot Note: The Employees' Pension Scheme, 1995 was published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 748(E) dated 16th November, 1995 and the Scheme was last amended vide number G.S.R. 688(E), dated the 26th September, 2008.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्तूबर, 2008

सा.का.नि 706(अ). — केंद्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि (तीयर) संशोधन) स्कीम, 2008 है।
- (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।
- 2. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 82 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--
- "83. अंतरराष्ट्रीय कर्मकारों की बाबत विशेष उपबंध--यह स्कीम, इस स्कीम के पैरा 2 के खंड (चच) में यथापरिमाषित अंतरराष्ट्रीय कर्मकारों को निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन लागू होगी, अर्थात् :--
- (1) पैरा 2 के खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :--
 - (च) ''अपवर्जित कर्मचारी'' से ऐसा अंतरराष्ट्रीय कर्मकार अभिप्रेत है, जो अपने मूल देश के, जिसके साथ भारत ने पारस्परिकता के आधार पर कोई सामाजिक सुरक्षा करार किया है, किसी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में नागरिक या निवासी के रूप में योगदान दे रहा है और ऐसी अवधि और निबंधनों के लिए, जो ऐसे किसी करार में विनिर्दिष्ट किए गए हों, वियोजित कर्मकार की प्रास्थिति का उपभोग कर रहा है ;
 - (चच) "अंतरराष्ट्रीय कर्मकार" से अभिप्रेत है :--
 - (क) ऐसा कोई भारतीय कर्मकार, जिसने किसी ऐसे विदेश में, जिसके साथ भारत ने सामाजिक सुरक्षा करार किया है, कार्य किया है या जो कार्य करने जा रहा है और जो उक्त करार के अधीन प्राप्त या प्राप्त की जाने वाली पात्रता के आधार पर उस देश के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अधीन फायदों का उपभोग करने के लिए पात्र है;
 - (ख) भारत में ऐसे किसी स्थापन में, जिसको यह अधिनियम लागू होता है, कार्यरत भारतीय कर्मचारी से भिन्न कोई कर्मचारी, जो भारतीय पासपोर्ट से भिन्न कोई पासपोर्ट धारित करता है :
 - (2) पैरा 26, पैरा 26क और पैरा 26ख के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात् :--
 - "26. निधि में सम्मिलित होने के लिए हकदार और अपेक्षित अन्तरर्राष्ट्रीय कर्मकारों के कर्मचारियों की श्रेणी :--(1)(क) ऐसे किसी स्थापन का, जिसे यह स्कीम लागू होती है, किसी अपवर्जित कर्मचारी से भिन्न प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय कर्मकार उस मास के, जिसमें यह पैरा प्रवृत्त होता है, आगामी मास के आरंभ से निधि का सदस्य होने के लिए हकदार और अपेक्षित होगा।

- (ख) ऐसे किसी स्थापन में या उसके संबंध में, जिसे यह स्कीम लागू होती है, कोई कार्य करने के लिए नियोजित अपवर्जित कर्मचारी से भिन्न प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय कर्मकार उस मास के, जिसमें यह पैरा प्रवृत्त होता है, आगामी मास के आरंभ से निधि का सदस्य होने के लिए हकदार और अपेक्षित होगा यदि ऐसे प्रवर्तन की तारीख को ऐसा कर्मचारी भारत में उस स्थापन की बाबत बनाई गई भविष्य निधि का अभिदाता है।
- (2) जहां स्कीम अधिनियम की धारा 17 के अधीन छूट के किसी आदेश की समाप्ति या रहकरण पर किसी स्थापन को लागू होती है, वहां ऐसा प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय कर्मकार, जो छूट के कारण निधि का सदस्य बना हो और उस रूप में बना रहा हो, तुरंत निधि का सदस्य हो जाएगा।
- (3) किसी स्थापन पर इस पैरा के प्रवृत्त होने के पश्चात्, अपवर्जित कर्मचारी से भिन्न उसका प्रत्येक ऐसा अंतरराष्ट्रीय कर्मकार, जो पहले से सदस्य नहीं बना है, मास के आरंभ से सदस्य बनने का भी हकदार होगा और उसके लिए अपेक्षित होगा ।
- (4) ऐसे किसी स्थापन का, जिसे यह स्कीम लागू होती है, कोई अपवर्जित कर्मचारी, ऐसा कर्मचारी न रहने पर उस मास के, जिसको वह ऐसा कर्मचारी नहीं रहता है, आगामी मास के आरंभ से निधि का सदस्य बनने के लिए हकदार और अपेक्षित होगा।
- (5) निधि में सम्मिलित होने के लिए पैरा 27क के अधीन छूट प्राप्त अंतरराष्ट्रीय कर्मकारों की किसी श्रेणी के पुनःनिर्वाचन पर या उस पैरा के अधीन किसी आदेश की समाप्ति या उसके रहकरण पर ऐसा प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय कर्मकार, जो ऐसी छूट के कारण निधि का सदस्य बना हो और उस रूप में बना रहा हो, तुरंत निधि का सदस्य हो जाएगा।
- (6) ऐसा प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय कर्मकार, जो किसी छूट प्राप्त स्थापन के संबंध में बनाई गई प्राइवेट भविष्य निधि का सदस्य है और जो ऐसी छूट के कारण निधि का सदस्य बना हो और उस रूप में बना रहा हो, ऐसे किसी स्थापन में कार्यग्रहण करने पर, जिसे यह स्कीम लागू होती है, तुरंत निधि का सदस्य हो जाएगा।

26क. सदस्यता का बना रहना--निधि का कोई सदस्य, निधि में अपने खाते में जमा राशि को पैरा 69 के अधीन वापस लेने या अधिनियम की धारा 17 के अधीन छूट की किसी अधिसूचना या पैरा 27 या पैरा 27क के अधीन छूट के किसी आदेश के अंतर्गत आने या फायदों का भारत और उसके मूल के देश के बीच किए गए सामाजिक सुरक्षा करार के अधीन सुसंगत उपबंधों के निबंधनानुसार निपटारा किए जाने तक सदस्य के रूप में बना रहेगा।

स्पष्टीकरण--पैरा 69 के उपपैरा (2) के अधीन किसी सदस्य द्वारा प्रतिदाय के लिए किसी दावें की दशा में निधि की सदस्यता उस तारीख से समाप्त की गई समझी जाएगी, जिसको आयुक्त द्वारा दावें की तारीख पर ध्यान दिए बिना इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे संदाय प्राधिकृत किया जाता है।

26ख. शंकाओं का निराकरण-यदि इस बारे में कि क्या कोई अन्तरराष्ट्रीय कर्मकार सदस्य बनने या उस रूप में बने रहने का हकदार या उसके लिए अपेक्षित है या उस तारीख के बारे में जिससे वह सदस्य बनने के लिए हकदार या अपेक्षित है कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उस पर क्षेत्रीय आयुक्त का विनिश्चय अंतिम होगा :

परंतु कोई विनिश्चय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक नियोजक और अंतरराष्ट्रीय कर्मकार दोनों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया हो।"

(2) पैरा 36 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरे रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"36. नियोजकों के कर्तव्य--(1) प्रत्येक नियोजक, इस स्कीम के प्रारंभ के पन्द्रह दिन के भीतर, ऐसे प्ररूप में, जो आयुक्त विनिर्दिष्ट करे, निधि का सदस्य बनने के लिए अपेक्षित या हकदार

अंतर्राष्ट्रीय कर्मकारों की (विशेष रूप से प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय कर्मकार की राष्ट्रीयता उपदर्शित करते हुए) एक समेकित विवरण, मूल मजदूरी, प्रतिधारण भत्ता (यदि कोई हो) और महंगाई भत्ता, जिसके अंतर्गत प्रत्येक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कर्मकार को संदत्त किसी भोजन संबंधी रियायत का नकद मूल्य भी है, दर्शित करते हुए आयुक्त को भेजेगा:

परन्तु यदि ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय कर्मकार नहीं है, जो निधि का सदस्य बनने के लिए अपेक्षित या हकदार है तो नियोजक 'शून्य' विवरणी भेजेगा ।

- (2) प्रत्येक नियोजक, प्रत्येक मास के अंत के पंद्रह दिन के भीतर आयुक्त को निम्नलिखित विवरणी भेजेगा -
 - (क) प्ररूप 5 में पूर्ववर्ती मास के दौरान प्रथम बार निधि का सदस्य बनने के लिए अर्हित अंतर्राष्ट्रीय कर्मकारों की विवरणी के साथ ऐसे अर्हित अंतर्राष्ट्रीय कर्मकारों द्वारा प्ररूप 2 में की गई घोषणाएं (विशेष रूप से प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय कर्मकार की राष्ट्रीयता उपदर्शित करते हुए), और
 - (ख) ऐसे प्ररूप में, जो आयुक्त विनिर्दिष्ट करे, पूर्ववर्ती मास के दौरान नियोजक की सेवा छोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय कर्मकारों की विवरणी (विशेष रूप से प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय कर्मकार की राष्ट्रीयता उपदर्शित करते हुए):

परन्तु यदि ऐसा कोई अंतर्राष्ट्रीय कर्मकार नहीं है जो प्रथम बार निधि का सदस्य बनने के लिए अर्हित हुआ हो या जिसने पूर्ववर्ती मास के दौरान नियोजक की सेवा छोड़ी हो तो नियोजक 'शून्य' विवरणी भेजेगा ।

[फा. सं. एस-35012/05/2008.एसएस-II] एस. के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. का.नि.आ. 1506, तारीख 2 सितम्बर, 1952 द्वारा प्रकाशित की गयी थी और अंतिम बार सं. सा.का.नि. 689 (अ), तारीख 26 सितम्बर, 2008 द्वारा संशोधित की गई।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st October, 2008

- G.S.R. 706(E).— In exercise of the powers conferred by section 5, read with subsection (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely: -
- (1) This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Third Amendment) Scheme, 2008.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- (2) In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, after paragraph 82, the following paragraph shall be inserted, namely: -
- ****83.** Special provision in respect of International Workers.-The Scheme shall, in its application to International Workers as defined in clause (ff) of paragraph 2 of this scheme be subject to the following modifications, namely:—

- (1) For clause (f) of paragraph 2, the following clauses shall be substituted, namely: —
- (f) "excluded employee" means an International Worker, who is contributing to a social security programme of his/her country of origin, either as a citizen or resident, with whom India has entered into a social security agreement on reciprocity basis and enjoying the status of detached worker for the period and terms, as specified in such an agreement;
- (ff) "International Worker" means:-
- (a) an Indian employee having worked or going to work in a foreign country with which India has entered into a social security agreement and being eligible to avail the benefits under a social security programme of that country, by virtue of the eligibility gained or going to gain, under the said agreement;
- (b) an employee other than an Indian employee, holding other than an Indian passport, working for an establishment in India to which the Act applies;
- (2) For the paragraphs 26, 26 A and 26 B, the following paragraphs shall be substituted, namely: -
- 26. Class of employees of International Workers entitled and required to join the fund.- (1)(a) Every International Worker of an establishment to whom this Scheme applies, other than an excluded employee, shall be entitled and required to become a member of the Fund from the beginning of the month following that in which this paragraph comes into force.
- (b) Every International Worker employed to do any work, in or in relation to any establishment to which this Scheme applies, other than an excluded employee, shall be entitled and required to become a member of the Fund from the beginning of the month following that in which this paragraph comes into force, if on the date of such coming into force, such employee is a subscriber to a provident fund maintained in respect of that establishment in India.
- (2) Where the Scheme applies to an establishment on the expiry or cancellation of an order of exemption under section 17 of the Act, every International Worker who, but for the exemption would have become and continued as a member of the Fund shall become a member of the Fund forthwith.
- (3) After this paragraph comes into force in an establishment, every International Worker thereof, other than an excluded employee, who has not become a member already shall also be entitled and required to become a member from the beginning of the month.
- (4) An excluded employee of an establishment to which this Scheme applies shail, on ceasing to be such an employee be entitled and required to become a member of the Fund from the beginning of the month following that on which he ceases to be such employee.
- (5) On re-election of a class of International Workers exempted under paragraph 27A to join the fund or on the expiry or cancellation of an order under that paragraph, every International Worker, who but for such exemption would have become and continued as a member of the Fund, shall forthwith become a member thereof.
- (6) Every International Worker who is a member of a private provident fund maintained in respect of an exempted establishment and who, but for the exemption, would have become and continued as a member of the Fund shall, on joining an establishment to which this Scheme applies, become a member of the Fund forthwith.
- 26A. Retention of membership.- A member of the Fund shall continue to be a member until he withdraws under paragraph 69 the amount standing to his credit in the Fund or is covered by a notification of exemption under section 17 of the Act or an order of exemption under paragraph 27 or 27A or the benefits are settled in terms of the relevant provisions under the social security agreement entered into between India and his country of origin.

Explanation. —In the case of a claim for refund by a member under sub-paragraph (2) of paragraph 69, the membership of the Fund shall be deemed to have been terminated from the date the payment is authorised to him by the authority specified in this behalf by the Commissioner irrespective of the date of claim.

26B. Resolution of doubts.- If any question arises as to whether an International Worker is entitled or required to become or continue as member, or as to the date from which he is entitled or required to become a member, the decision thereon of the Regional Commissioner shall be final:

Provided that no decision shall be given unless both the employer and the International Worker have been given an opportunity of being heard.

(2) For paragraph 36, the following paragraphs shall be substituted, namely:-

36. Duties of employers.- (1) Every employer shall send to the Commissioner, within fifteen days of the commencement of this Scheme, a consolidated return in such form as the Commissioner may specify, of the International Workers (indicating distinctly the nationality of each and every International Worker) required or entitled to become members of the Fund showing the basic wage, retaining allowance (if any) and dearness allowance including the cash value of any food concession paid to each of such International Worker:

Provided that if there is no International Worker who is required or entitled to become a member of the Fund, the employer shall send a 'NIL' return.

- (2) Every employer shall send to the Commissioner within fifteen days of the close of each month a return —
- (a) in Form 5, of the International Workers qualifying to become members of the Fund for the first time during the preceding month together with the declarations in Form 2 furnished by such qualifying International Workers (indicating distinctly the nationality of each and every International Worker), and
- (b) in such form as the Commissioner may specify, of the International Workers (indicating distinctly the nationality of each and every International Worker) leaving service of the employer during the preceding month:

Provided that if there is no International Worker qualifying to become a member of the Fund for the first time or there is no International Worker leaving service of the employer during the preceding month, the employer shall send a 'NIL' return."

[F. No. S-35012/05/2008.SS-II] S. K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Foot Note: The Employees' Provident Funds Scheme, 1952 was published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number S.R.O. 1506 dated the 2nd September, 1952 and lastly amended *vide* number G.S.R. 689(E), dated the 26th September, 2008